रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235246
CG-DL-E-20042022-235246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1789] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944
No. 1789] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020

का.आ. 1879(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य मे स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन, श्रीपेरुम्बदूर तालूक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एंव सम्भार तंत्र सबंधी प्रचालनों सहित इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर और सबंधित सहायक सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्रों सं. का. आ. 1784(अ) दिनांक 18 अक्तूबर, 2007 तथा सं. का. आ. 6065(अ) दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 140.755 हेक्टेयर एवं 7.111 हेक्टेयर के क्षेत्र को क्रमशः अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 14864/एम आई ई.2/2019-1 दिनांक 13.12.2019 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्ज विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि., इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, पेरूनदुरई ग्राम, इरोड जिले में विशेष आर्थिक जोन में से 12.14 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 121.504 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	पनरूति बी	410 भाग	0.890
2.		411 भाग	0.237
3.		423 भाग	0.002
4.		424 भाग	0.790
5.		425	1.451
6.		426	2.992
7.		427	3.336
8.		428 भाग	0.945
9.		429 भाग	0.082
10.		430	1.194
11.		431 भाग	0.168
12.	पनरूति ए	20	0.053
कुल			12.14
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			121.504

[फा. सं. एफ.2/717/2006-एसईजेड]

एस. किशोर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2020

S.O. 1879E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth Centre, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified 140.755 hectares and de-notified 7.111 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 1784(E) dated 18th October, 2007 and S.O. 6065(E) dated 03rd December, 2018, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 12.14 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 14864/MIE.2/2019-1 dated 13th December, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 12.14 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 12.14 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 121.504 hectares, comprising the survey numbers and the areas given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1	Panruti B	410 Pt	0.890
2		411 Pt	0.237
3		423 Pt	0.002
4		424 Pt	0.790
5		425	1.451
6		426	2.992
7		427	3.336
8		428 Pt	0.945
9		429 Pt	0.082
10		430	1.194
11		431 Pt	0.168
12	Panruti A	20	0.053
Total			12.14
Grand Total Area of SEZ after above deletion			121.504

[F. No. F. 2/717/2006-SEZ]

S. KISHORE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.20 20:18:01 +05'30'